


समयम जाते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2082]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935

No. 2082]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/BHADRA 15, 1935

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2013

का.आ. 2693(अ).—केन्द्रीय सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात “अधिनियम” कहा गया है) (1995 का 7) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 823(अ) तारीख 13 सितम्बर, 2000, सं. 16 (1)/केबल-2005-ई-III तारीख 25 फरवरी, 2005 और का.आ. 1881 (अ) तारीख 6 नवंबर, 2007 को अधिकांत करते हुए निम्नलिखित चैनलों के नाम केबल ऑपरेटरों द्वारा उनकी केबल सेवाओं में पुनः पारेषण और ऐसे चैनलों की प्राप्ति तथा पुनः पारेषण की रीति के लिए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

1. जहां अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अंकीय पता योग्य प्रणाली आरंभ की गयी है, वहां केबल ऑपरेटर निम्नलिखित चैनलों का आवश्यक रूप से प्रसारण करेंगे, अर्थात्:—

सारणी- 1

क्रम संख्या	चैनल का नाम	शैली
1.	डीडी नेशनल	साधारण मनोरंजन (हिंदी)
2.	डीडी न्यूज	समाचार और समसामयिकी
3.	डीडी भारती	इंफोटेनमेंट
4.	डीडी उर्दू	इंफोटेनमेंट
5.	डीडी स्पोर्ट्स	खेल
6.	डीडी इंडिया	इंफोटेनमेंट
7.	डीडी कशीर	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
8.	डीडी पंजाबी	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
9.	डीडी गिरनार	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
10.	डीडी सहयाद्रि	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
11.	डीडी सप्तगिरी	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
12.	डीडी मलयालम	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
13.	डीडी पोधिगई	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
14.	डीडी चंदना	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
15.	डीडी बंगला	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
16.	डीडी नॉर्थ-ईस्ट	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
17.	डीडी बिहार	साधारण मनोरंजन (हिंदी)
18.	डीडी उत्तर प्रदेश	साधारण मनोरंजन (हिंदी)
19.	डीडी राजस्थान	साधारण मनोरंजन (हिंदी)
20.	डीडी मध्य प्रदेश	साधारण मनोरंजन (हिंदी)
21.	डीडी उडिया	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
22.	ज्ञान दर्शन चैनल	इंफोटेनमेंट
23.	लोक सभा टेलीविजन चैनल	समाचार और समसामयिकी
24.	राज्य सभा टेलीविजन चैनल	समाचार और समसामयिकी

परंतु, प्रत्येक केबल ऑपरेटर ग्राहकों को उनके द्वारा अभिदत्त चैनल समूह (समूहों) या व्यष्टि चैनल (चैनलों) को दृष्टि में लाए बिना उपर्युक्त चैनल प्रदान करेगा।

परंतु यह और कि प्रत्येक केबल ऑपरेटर उपर्युक्त चैनलों को सापेक्ष शैली में स्थान देगा और उन्हें टेलीविजन की पूरी स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा।

2. जहां अधिनियम की धारा 4 क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अंकीय पतायोग्य प्रणाली का आरंभ नहीं किया गया है, वहां ग्राहकों को निम्नलिखित चैनलों को प्रदान किए जाने की बाध्यता प्रत्येक केबल ऑपरेटर पर होगी, अर्थात्: :—

सारणी- 2

क्रम सं.	चैनल का नाम	चैनल का स्थापन
1.	डीडी1 (राष्ट्रीय चैनल)	प्राइम बैंड

2.	डीडी (समाचार चैनल)	प्राइम बैंड
3.	अनुसूची के अनुसार केबल ऑपरेटर जिस राज्य में स्थित है, उस राज्य के दूरदर्शन चैनल की एक प्रादेशिक भाषा	प्राइम बैंड
4.	लोक सभा टेलीविजन चैनल	प्राइम बैंड
5.	राज्य सभा टेलीविजन चैनल	प्राइम बैंड
6.	डीडी स्पोर्ट्स चैनल	गैर प्राइम बैंड
7.	ज्ञान दर्शन चैनल	गैर प्राइम बैंड
8.	डीडी उर्दू चैनल	गैर प्राइम बैंड
9.	डीडी भारती	गैर प्राइम बैंड

परंतु वे राज्य जहां दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषा के चैनल उपलब्ध नहीं हैं, वहां समय सारणी के अनुसार डीडी भारती को प्राइम बैंड में प्रदान किया जाएगा, जबकि जिस राज्य में दूरदर्शन का क्षेत्रीय भाषा का चैनल उपलब्ध है, वहाँ डीडी भारती गैर प्राइम बैंड में प्रदान किया जाएगा।

अनुसूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश	प्राइम बैंड में केबल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए जाने वाले दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषा के चैनल का नाम	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां केबल ऑपरेटर द्वारा नॉन-प्राइम बैंड में डीडी भारती प्रदान किया जाना है
1	आंध्र प्रदेश	डीडी सप्तगिरी	डीडी भारती
2	अरुणाचल प्रदेश	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती
3	असम	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती
4	बिहार	डीडी बिहार	डीडी भारती
5	छत्तीसगढ़	डीडी भारती	
6	गोवा	डीडी भारती	
7	गुजरात	डीडी गिरनार	डीडी भारती
8	हरियाणा	डीडी भारती	
9	जम्मू-कश्मीर	डीडी भारती	
10	जम्मू-कश्मीर	डीडी कशीर	डीडी भारती
11	झारखण्ड	डीडी भारती	
12	कर्नाटक	चांदना	डीडी भारती
13	केरल	डीडी मलयालम	डीडी भारती
14	मध्य प्रदेश	डीडी मध्य प्रदेश	डीडी भारती
15	महाराष्ट्र	डीडी सहयाद्री	डीडी भारती
16	मणिपुर	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती
17	मेघालय	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती
18	मिजोरम	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती

19	नागालैंड	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती
20	उड़ीसा	डीडी उड़िया	डीडी भारती
21	पंजाब	डीडी पंजाबी	डीडी भारती
22	राजस्थान	डीडी राजस्थान	डीडी भारती
23	सिक्किम	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती
24	तमिलनाडु	डीडी पोदिगई	डीडी भारती
25	त्रिपुरा	डीडी नॉथ-ईस्ट	डीडी भारती
26	उत्तर प्रदेश	डीडी उत्तर प्रदेश	डीडी भारती
27	उत्तराखंड	डीडी भारती	
28	पश्चिम बंगाल	डीडी बंगला	डीडी भारती
29	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	डीडी भारती	
30	चंडीगढ़	डीडी पंजाबी	डीडी भारती
31	दादरा और नागर हवेली	डीडी गुजराती	डीडी भारती
32	दमण एवं दीव	डीडी गुजराती	डीडी भारती
33	लक्षद्वीप	डीडी मलयालम	डीडी भारती
34	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	डीडी भारती	
35	पुदुचेरी	डीडी पोदिगई	डीडी भारती

3. प्रत्येक केबल ऑपरेटर,—

- (i) अच्छी गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, अपनी केबल सेवा पर पुनः पारेषण के लिए दूरदर्शन चैनलों के केबल सी-बैंड सेटलाइट सिगनलों को ऐसे डिश एंटीना/टेलीविजन से प्राप्त करेगा जिसकी डिश 12 फिट से कम व्यास की नहीं होगी और सिगनल यागी एंटीना से प्राप्त नहीं करेगा।
- (ii) केबल सेवा में उसी आवृत्ति के बैंड पर, जिसमें दूरदर्शन स्थलीय चैनलों का पारेषण किया जाता है, किसी अन्य चैनल का पारेषण नहीं करेगा ;
- (iii) अच्छी क्वालिटी की ग्राहता सुनिश्चित करने के लिए मानक उपस्करों का उपयोग करेगा और अन्य सेटलाइट चैनलों से तुलनीय कड़ी के अंतिम ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सभी आवश्यक चैनलों का पुनः पारेषण करेगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पद “प्राइम बैंड” पद से बैंड-1 (47 से 68 मैगाहर्टज की रेंज वाले चैनल 2 से 4) और बैंड-2 (174 से 230 मैगाहर्टज रेंज वाले चैनल 5 से 12) के अंतर्गत आने वाले चैनलों से संबंधित आवृत्तियां आती हैं और “गैर प्राइम बैंड” का “प्राइम बैंड” के संबंध में तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

[फा. सं. एन.36015/1/2013-बीपीएंडएल]

जितेन्द्र शंकर माथुर, अपर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2013

S.O. 2693(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (hereinafter referred to as “the Act”) (7 of 1995) and in supersession of notifications numbers S.O. 823(E) dated the 13th September, 2000, No.16(1)/Cable-2005-E-III dated 25th February,

2005 and S.O.1881(E) dated 6th November, 2007, the Central Government hereby specifies the names of channels to be re-transmitted by the cable operators in their cable services and the manner of reception and re-transmission of such channels, namely :—

1. Where digital addressable system has been introduced in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 4A of the Act, following channels are to be mandatorily carried by the cable operators, namely: —

TABLE- I

S.No	Name of the Channel	Genre
1.	DD National	General Entertainment (Hindi)
2.	DD News	News and Current Affairs
3.	DD Bharati	Infotainment
4.	DD Urdu	Infotainment
5.	DD Sports	Sports
6.	DD India	Infotainment
7.	DD Kashir	General Entertainment (Regional)
8.	DD Punjabi	General Entertainment (Regional)
9.	DD Girnar	General Entertainment (Regional)
10.	DD Sahyadri	General Entertainment (Regional)
11.	DD Saptagiri	General Entertainment (Regional)
12.	DD Malayalam	General Entertainment (Regional)
13.	DD Podhigai	General Entertainment (Regional)
14.	DD Chandana	General Entertainment (Regional)
15.	DD Bangla	General Entertainment (Regional)
16.	DD North East	General Entertainment (Regional)
17.	DD Bihar	General Entertainment (Hindi)
18.	DD Uttar Pradesh	General Entertainment (Hindi)
19.	DD Rajasthan	General Entertainment (Hindi)
20.	DD Madhya Pradesh	General Entertainment (Hindi)
21.	DD Oriya	General Entertainment (Regional)
22.	Gyan Darshan Channel	Infotainment
23.	Lok Sabha Television Channel	News and Current Affairs
24.	Rajya Sabha Television Channel	News and Current Affairs

Provided that every cable operator shall provide the above channels to the subscribers, irrespective of any bouquet(s) or a-la-carte channel(s) being subscribed by them.

Provided further that every cable operator shall also place the above channels in the respective genre and shall display them in full television screen.

2. Where digital addressable system has not been introduced in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 4A of the Act, it shall be obligatory for every cable operator to provide following channels to the subscribers, namely : —

3846 4/13-2

TABLE - II

S.No	Name of channel	Placement of channel
1.	DD1 (National Channel)	Prime band
2.	DD (News Channel)	Prime band
3.	One regional language of Doordarshan channel of the State in which the cable operator is located according to the SCHEDULE	Prime band
4.	Lok Sabha Television Channel	Prime band
5.	Rajya Sabha Television Channel	Prime band
6.	DD Sports channel	Non prime band
7.	Gyan Darshan Channel	Non prime band
8.	DD Urdu channel	Non prime band
9.	DD Bharati	Non prime band

Provided that in State where regional language channel of Doordarshan is not available, DD Bharati shall be provided according to the Schedule in prime band whereas, in State where regional language channel of Doordarshan is available, DD Bharati shall be provided in the non prime band.

SCHEDULE

S. No.	States/ Union territories	Name of the regional language channel of Doordarshan to be provided by the cable operator in prime band	States / Union territories where DD Bharati to be provided by the cable operator in non-prime band
1	Andhra Pradesh	DD Saptagiri	DD Bharati
2	Arunachal Pradesh	DD-North-East	DD Bharati
3	Assam	DD-North-East	DD Bharati
4	Bihar	DD Bihar	DD Bharati
5	Chattisgarh	DD Bharati	
6	Goa	DD Bharati	
7	Gujarat	DD Girnar	DD Bharati
8	Haryana	DD Bharati	
9	Himachal Pradesh	DD Bharati	
10	Jammu and Kashmir	DD Kashir	DD Bharati
11	Jharkhand	DD Bharati	
12	Karnataka	DD Chandana	DD Bharati
13	Kerala	DD Malayalam	DD Bharati
14	Madhya Pradesh	DD Madhya Pradesh	DD Bharati
15	Maharashtra	DD Sahyadri	DD Bharati
16	Manipur	DD-North-East	DD Bharati
17	Meghalaya	DD-North-East	DD Bharati
18	Mizoram	DD-North-East	DD Bharati
19	Nagaland	DD-North-East	DD Bharati
20	Orissa	DD Oriya	DD Bharati

21	Punjab	DD Punjabi	DD Bharati
22	Rajasthan	DD Rajasthan	DD Bharati
23	Sikkim	DD-North-East	DD Bharati
24	Tamil Nadu	DD Podigai	DD Bharati
25	Tripura	DD-North-East	DD Bharati
26	Uttar Pradesh	DD Uttar Pradesh	DD Bharati
27	Uttarakhand	DD Bharati	
28	West Bengal	DD Bangla	DD Bharati
29	Andaman and Nicobar Islands	DD Bharati	
30	Chandigarh	DD Punjabi	DD Bharati
31	Dadra and Nagar Haveli	DD Gujarati	DD Bharati
32	Daman and Diu	DD Gujarati	DD Bharati
33	Lakshadweep	DD Malayalam	DD Bharati
34	NCT of Delhi	DD Bharati	
35	Puducherry	DD Podigai	DD Bharati

3. Every cable operator shall, —

- (i) take only C-band satellite signals of Doordarshan channels for retransmission on their cable service by dish antenna / Television Receive only of not less than 12 feet diameter dish, and not Yagi antenna to ensure good quality reception ;
- (ii) not transmit any channel on the cable service in the same frequency band in which Doordarshan terrestrial channels are transmitted ;
- (iii) use standard equipment to ensure good quality reception and re-transmission of all mandatory channels upto tail-end subscribers comparable with other satellite channels.

Explanation : For the purpose of this notification, the expression “prime band” constitutes frequencies relating to channel falling in band I (channels 2 to 4 ranging from 47 to 68 MHz) and band III (channels 5 to 12 ranging from 174 to 230 MHz) and “non-prime band” shall be construed accordingly, in relation to “prime band”.

[F. No. N. 36015/1/2013-BP&L]

JITENDRA SHANKAR MATHUR, Addl. Secy.